

रीडर
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

13.12.22
रूप पत्र उपरिष्ठ प्राचीन अधिपति राजकीय
कार्य से बाहर है। नया नया पर है / पररिक्त है।
यथा: पत्रावली दिनांक ...27.12.22 को भेजें।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

27
12
22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राचीन उपरिष्ठ, वकील उपरिष्ठ
से 7, 15 के बिक्रम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उपरिष्ठ
की सम्मन वाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिले शक्ति
पत्रावली किये गये। विपक्षीयों को कितनी मते वा
आम्हारे खिलाफ जाने के बाद भी उपरिष्ठ नहीं।
इन्के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दे
जाते हैं। वकील प्राचीन का प्रापण स्वीकार किया जाकर
निष्पक्ष रूपक से लिखा जाकर शक्ति पत्रावली किया
गया। पत्रावली के पत्र सुमार लेकर सम्बरदिकम है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला मीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आ२०१०१२१०)

संख्या- 215/22 प्रा. 97

शंकर सिंह ०/० श्री हरिसिंह राजपूत निवासी-गीमडियारा तहसील माण्डल
[कॉर]

-प्रार्थी

बनाम

शंकर सिंह ०/० शंकर सिंह राजपूत निवासी-गीमडियारा तहसील माण्डल [कॉर]
(सुदहो कित गांधी राजपूत)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम गीमडियारा पटवार हल्का गीमडियारा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 368/1, 369/1 कुल कित्ता 02 रकबा 0.7968 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये गोमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का री हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नार्थिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गीमडियारा पटवार गीमडियारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 368/1, 369/1 कित्ता 02 रकबा 0.7968 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख क अमृतानपुरा को 500-1 रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने नकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार र पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा